संख्या— / जी0एस0(शिक्षा) / A4-83(P-II) / 2020

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं० 2215 व पत्र संख्या 2216 दिनांक 24.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, शिक्षानगर, हल्द्वानी, नैनीताल को **बी0एच0एम0सी0टी0 पाठ्यक्रम** में सत्र 2021–22 का सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2— तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0आई0सी0टी0ई0, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24 (2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :—

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, शिक्षानगर, हल्द्वानी, नैनीताल	बी0एच0एम0सी0टी0	60 सीट	सत्र 2021–22 हेतु

(1) विश्वविद्यालय, ए0आई0सी0टी0ई0 व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की गुणवत्ता और व्यवहारिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये। संस्थानों द्वारा छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा और इंटर्नशिप / विजिट के लिए किन समूहों, विभागों एवं कंपनियों के साथ समझौता (MoU) किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख दो माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(3) निरीक्षण मण्ड़ल की संस्तुति के अनुसार संस्थान की ऑन लाईन टीचिंग सुविधाओं को सुदढ़ व और अधिक जर्नलस उपलब्ध कराने की पूर्ति संस्थान व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी।

(4) ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार प्रयोगशाला के मानक तथा एटीं रैगिंग सम्बन्धी प्राविधान में एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. व यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति के गठन सम्बन्धी मानकों का निराकरण संस्थान व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन स्तर लिये गये निर्णय का अनुपालन विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा किये जाने पर ही अग्रेत्तर सम्बद्धता पर विचार किया जायेगा।

क्रमशः 2 पर

(6) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यदि किसी पाठ्यक्रम के तकनीकी मानक राष्ट्रीय स्तर के किसी नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हों तो विश्वविद्यालय द्वारा 03 माह के भीतर सम्बन्धित पाठ्यक्रम के मानक निर्धारित किये जायेंगे।

(9) विश्वविद्यालय, संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर उसकी प्रति इस सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(10) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/ए0आई0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय, शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(11) शासन द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका संज्ञान रखा जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

<u>संख्या–2387 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-83 (P-II)/2019 तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, शिक्षानगर, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।